न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
410/09	16/12/04	28.03.2018

पीठासीन अधिकारी– तारामती वैष्णव (R.A.S.)

उनवान

लटूरलाल पुत्र धूलीलाल जाति चमार निवासी रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र औंकार
2. भंवरलाल पुत्र औंकार
3. कल्याण पुत्र औंकार जाति चमार निवासीगण गांवडी, बलवन्त खेडी तहसील मांगरोल जिला बांरा
4. लटूर मृतक जरिये कायम मुकाम–

   4/1. नट्टी बेवा लटूर निवासी गांवडी, बलवन्त खेडी तहसील मांगरोल जिला बांरा
5. गोपाल पुत्र औंकार
6. कालू पुत्र औंकार जाति चमार निवासीगण गांवडी, बलवन्त खेडी तहसील मांगरोल जिला बांरा
7. चतरी बाई बेवा औंकार जाति चमार लटूर निवासी गांवडी, बलवन्त खेडी तहसील मांगरोल जिला बांरा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित अभिभाषक :–

1. राजकुमार नन्दवाना :– वादी की ओर से
2. श्री ओमप्रकाश सोनी :– प्रतिवादीगण की ओर से

–:: निर्णय ::–

Scanned by CamScanner

वादी ने वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, इन कथनों के साथ पेश किया कि ग्राम रलायता तहसील दीगोद में ख0नं0 29 की 1.07 हे0, ख0नं0 192 की 1.72 हे0, ख0नं0 27/375 की 0.12 हे0 आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पूर्व में औंकार पुत्र भैरू की खातेदारी में दर्ज थी तथा वर्तमान में सेटलमेंट के पूर्व इस आराजी के खनं0 32 व 138 थे। औंकार पुत्र भैरू ने विवादित आराजी को सं0 2016 में 150/–रू0 के प्रतिफल स्वरूप वादी के पिता धूलीलाल को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया था, तब से ही गत ख0नं0 32 की 9 बीघा 3 बिस्वा तथा ख0नं0 138 की 10 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर धूलीलाल बतौर खातेदार कृषक काबिज हुऐ तथा तब से लगातार बिना किसी अवरोध के औंकार व उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिस प्रतिवादीगण की जानकारी में हॉस्टाइल टाईटल व हॉस्टाइल पजेशन से काबिज चले आ रहे है तथा लगान, सिंचाई कर अदा करते आ रहे है तथा कब्जा मुखालफाना के आधार पर काबिज चले आ रहे है। कब्जा मुखालफाना से धूलीलाल व उनके बाद वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। उपरोक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, इसके बावजूद भी राजस्व अभिलेख में वादी का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज नहीं किया तथा प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होनें से वह कब्जें में हस्तक्षेप करनें की धमकी देते है। जिससे यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार परिपक्व होनें पर व जमीन को अन्य को बैचनें की धमकी देनें पर दिनांक 05.11. 2004 को उत्पन्न हुआ।

इस प्रकार कथन कर वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादी को ग्राम रलायता तहसील दीगोद की ख0नं0 29 रकबा 1.07 हे0, ख0नं0 192 रकबा 1.72 हे0 तथा ख0नं0 27/375 रकबा 0.12 हे0 आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह विवादित आराजी को न तो किसी अन्य को खुर्द बुर्द करें ना ही वादी के कब्जें में हस्तक्षेप करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 लगायत 7 की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर, दावा वादी अस्वीकार किया गया तथा विशेष आपत्तियां दर्ज करवाई कि वादी द्वारा खातेदारी

Scanned by CamScanner

घोषणा हेतु राजस्थान राज्य को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए वाद मेन्टेनेबल नहीं होनें से खारिज होनें योग्य है, क्योकि राजस्थान राज्य आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण चरण क्रम 1 में वर्णित आराजी के खातेदार कृषक होनें के कारण तथा वादी का विवादित आराजी पर कब्जा न होनें के कारण वाद स्थायी निषेधाज्ञा वादी खारिज होनें योग्य है। प्रतिवादीगण के पिता ने वादी के पिता को विवादित आराजी का कभी विक्रय विलेख व तहरीर नहीं किया तथा कथित कच्ची तहरीर के आधार पर वाद वादी चलने योग्य नहीं होनें से खारिज किये जानें योग्य है। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हॉस्टाईल टाईटल प्राप्त नहीं हो सकता क्योकि वादी एवं उसके पिता का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा है तथा कथित कच्ची तहरीर में ख0नं0 भी अंकित नहीं है इसलिए उक्त तहरीर वैध नहीं है। दावा वादी बैरून मियान होनें से निरस्तनीय है। चतरी बेवा ओंकार जाति चमार उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार है जिसे उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस कारण वाद चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी वादी से विशेष हर्जा 5000/–रू0 प्राप्त करनें का अधिकारी है।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब अनुसार प्रकरण में निम्न विवाद्यक कायम किये गये–

1. क्या वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित विवादित आराजी का बैचान पूर्व खातेदार ओंकार वल्द भैरू द्वारा सं0 2016 को वादी के पिता धूलीलाल को करके कब्जा संभला दिया ?
–वादी
2. क्या उक्त विवादित आराजी पर बैचान के समय से ही वादी के पिता बतौर एडवर्स पजेशन खातेदार कृषक काबिज काश्त चले आ रहे है ?
–वादी
3. क्या दावा वादी को प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी पर कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करनें की धमकी देते है ?
–वादी
4. क्या दावा वादी आवश्यक पक्षकार न बनाये जानें के दोष से दूषित है ?
–प्रतिवादीगण
5. क्या विवादित आराजी पर कब्जा काश्त न होनें के कारण दावा वादी स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जानें योग्य है ?
–प्रतिवादीगण
6. क्या दावा वादी परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है ?
–प्रतिवादीगण

Scanned by CamScanner

7. क्या दावा वादी से प्रतिवादीगण विशेष हर्जा प्राप्त करनें के अधिकारी है ?

—प्रतिवादीगण

8. अनुतोष

वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये—

1. शपथपत्र साक्ष्य वादी प्रदर्श पी0डब्ल्यु0—1 लटूरलाल पुत्र धूलीलाल उम्र 63 वर्ष जाति चमार निवासी रलायता तहसील दीगोद
2. शपथपत्र साक्ष्य वादी प्रदर्श पी0डब्ल्यु0—2 रामकल्याण पुत्र मोतीलाल उम्र 75 वर्ष जाति गूजर निवासी रलायता तहसील दीगोद
3. शपथपत्र साक्ष्य वादी प्रदर्श पी0डब्ल्यु0—3 भंवरलाल पुत्र रामप्रताप उम्र 45 वर्ष जाति बैरवा निवासी रलायता तहसील दीगोद
4. लिखावट (तहरीर) द्वारा औंकार पुत्र भैरू चमार प्रदर्श—4
5. नकल जमाबन्दी ग्राम रलायता तहसील दीगोद सम्वत् 2056—59 खाता न0 29 प्रदर्श—1
6. नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम रलायता सम्वत् 2043—62 प्रदर्श—2
7. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम रलायता सम्वत् 2029—32 प्रदर्श—3
8. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम रलायता सम्वत् 2017—20 प्रदर्श—5

बाद साक्ष्य विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष बहस हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए, किन्तु प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस करनें से इंकार कर दिया। प्रकरण में वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा अधिकतर वादपत्र के कथनों को ही दोहराया तथा कथन किये कि प्रकरणाधीन साबिक ख0नं0 32 व 138 के नवीन नम्बर कमशः 29 व 192 बनाये गये। सं0 2029—32 की खसरा गिरदावरी में भी वादीगण के पिता धूल्या चमार का नाम दर्ज था अर्थात् उक्त भूमि पर हमारा कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार सं0 2017—20 की गिरदावरी में भी कब्जा हमारा ही दिखाया गया है। जिरह में भी कब्जा काश्त हमारा ही स्वीकार किया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वाद वादी डिक्री फरमाया जावें।

Scanned by CamScanner

बाद बहस पत्रावली का आधोपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादी द्वारा वॉच्छित रिलीफ, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात तथा प्रतिवादीगण के जवाब पर सम्यक् चिंतन मनन किया। हालॉकि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद के विरूद्ध मात्र जवाब प्रस्तुत किया है किन्तु प्रकरण में निहित विधिक बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित पाया जाता है। **तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है–**

तनकी नं0 1– क्या वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित विवादित आराजी का बैचान पूर्व खातेदार औंकार वल्द भैरू द्वारा सं0 2016 को वादी के पिता धूलीलाल को करके कब्जा संभला दिया ? उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार वादी पर था। पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर प्रदर्श–4 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर आता है कि औंकार वल्द भैरू निवासी बिनायका द्वारा 15 बीघा भूमि 150/–रू0 में धूलीलाल को बैचान कर मौके पर कब्जा दिये जानें बाबत् उक्त तहरीर में अंकन है। उक्त तहरीर में औंकार का अंगूठा निशानी भी अंकित है। अतः प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित है कि औंकार द्वारा भादवा सुदी 8 सं0 2016 को 150/–रू0 प्रतिफल की राशि धूलीलाल से प्राप्त कर उक्त तहरीर आलेखित कर मौके पर कब्जा संभला दिया था। अतः उक्त तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 2– क्या उक्त विवादित आराजी पर बैचान के समय से ही वादी के पिता बतौर एडवर्स पजेशन खातेदार कृषक काबिज काश्त चले आ रहे है ? उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार वादी पर था। साक्ष्य बयान पी0डब्ल्यू0 1, 2 व 3 नें अपनें बयानों में कथन किये है कि विवादित आराजी पर पूर्व में धूलीलाल तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त लटूर को ही काश्त करते देखा है, किसी अन्य को उक्त विवादित आराजी पर काश्त करते हुए नहीं देखा है। गवाह पी0डब्ल्यू0 2 की आयु लगभग 75 वर्ष तथा पी0डब्ल्यू0 3 की आयु लगभग 45 वर्ष है। उक्त दोनों गवाहान के बायानों से स्पष्ट है कि वादी का विवादित आराजी पर बैचान के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 3 व 5 के अनुसार भी विवादित आराजी पर वादी के पिता का कब्जा काश्त होना प्रमाणित है। अतः उक्त तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 3– क्या दावा वादी को प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी पर कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करनें की धमकी देते है ? उक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार वादी पर

Scanned by CamScanner

था। वादी द्वारा अपनें वाद पत्र में वादी को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी पर कब्जें काश्त में हस्तक्षेप करनें की धमकी देनें बाबत् कथन किये गये है, किन्तु कब्जें काश्त में हस्तक्षेप के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे प्रमाणित हो सके की प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जें काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा हो। लिहाजा उक्त तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 4 लगायत 7– उक्त तनकीयात को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादीगण पर था। उक्त तनकीयात के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा मात्र अपनें जवाब दावें में कथन किये है, किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। लिहाजा उक्त तनकीयात विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

अनुतोष– विवादित आराजी वाके ग्राम रलायता तहसील दीगोद स्थित ख0न0 27/375 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 29 रकबा 1.07 हे0 एवं ख0नं0 192 रकबा 1.72 हे0 भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण छोटू, भंवरलाल, कल्याण, लटूर गोपाल, कालू पुत्रान औंकार, चतरी बेवा औंकार जाति चमार निवासी गावडी बलवंत खेडली तहसील मांगरोल के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के बन्दोबस्त से पूर्व में खसरा नम्बर 32 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा (नवीन ख0नं0 29 व 27/375) एवं ख0नं0 138 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा (नवीन ख0नं0 192) जो प्रतिवादीगण के नाम पर अंकित थी।

वादी द्वारा जिक किया है कि उक्त विवादित भूमि को खातेंदार औंकार पुत्र भैरू ने सं0 2016 में 150/–रू0 प्रतिफल प्राप्त कर वादी के पिता धूलीलाल को बैचान कर मौके पर कब्जा संभला दिया था। वादी एवं उसके पिता का उक्त भूमि पर संम्वत् 2016 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। अपने कथनों के समर्थन में वादी द्वारा खसरा गिरदावरी एवं साक्ष्य PW 1, 2 व 3 दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिससे यह प्रमाणित होता है कि औंकार द्वारा विवादित आराजी का बैचान धूलीलाल को कर मौके पर कब्जा संभला दिया था। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में बेचान नामा (तहरीर) भी प्रस्तुत की जिससे यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि का वादी के पिता धूलीलाल के पक्ष में बेचान किया गया है। किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति लिखावट द्वारा औंकार चमार को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता। उक्त प्रति मूल प्रति न होकर छायाप्रति मात्र है जो Indian Evidence Act

Scanned by CamScanner

के अनुसार साक्ष्य में वैसे ही ग्राह्य नहीं है। तहरीरी लिखावट में कहीं पर भी विवादित आराजी के खसरा नम्बर अंकित नहीं है।

वादी का कथन है कि वह वादग्रस्त भूमि पर काफी समय से काबिज़ है , और वादी के उक्त कथनों का प्रतिवादी द्वारा कोई खास खण्डन नहीं किया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मात्र जवाब ही प्रस्तुत किया गया है, अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रकरण में विद्वान वकील वादी द्वारा माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त RRD 1991 Page No. 1 बग्गा बनाम सुरेन्द्र सिंह प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि (a) Indian Limitation Act, Section 27 reda with Section 214(3) of the revenue or tenancy matters-The general law of limitation is applicable to the Rajasthan Tenancy Act-Application of Section 27 of the Limitation Act is not excluded and khaterari rights can be acquired by adverse possession,

For the purpose of claiming some right by adverse possession, against a private person, the prescribed period is 12 years, but against the state, the prescribed period is 30 years-Therefore, Section 27 of the Limitation Act does not operate against the State on the expiry of a period of 12 years-Hence, possession of the trespasser may be adverse to the khatedar but it does not become adverse to the state-A suit for declaration by the trespasser in the ground that he had acquired khatedari rights by adverse possession will not bind the state.

(b) A suit can be filed u/s 88 for the declaration of Khatedari rights on the basis of adverse possession- The view view taken in 1990 RRD 212 is erroneous- the view taken in 1977 RRD 479 and 1985 RRD is also not entirely correct rights- The correct law is that by adverse possession, the trespasser acquires khatedari rights provided that the acquisition of khatedari is not specifically prohibited by law, e.g., Section 42 and section 16 of Rajasthan Tenancy Act,."

इसी प्रकार RRT 2003(2) Page No. 881 Bondar Singh & Ors. VS Nihal Singh & Ors में प्रतिपादित किया है कि "Civil law-Declaration-Ownership claimed on the ground of adverse possession-Relief of injunction also sought-Suit decreed by the High Court Predecessor of plaintiff in the year 1931 came in possession of the suit land & possession continued till the date of filling of Suit-Held, no error in the impugned judgment & decree and upheld." प्रकरण

Scanned by CamScanner

में प्रतिवादी नम्बर 8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया किन्तु उक्त प्रकरण में यदि भूमि को प्रतिवादीगण के नाम से हटाई जाकर वादी के नाम दर्ज की जाती है तो इससे प्रतिवादी कम 8 को आर्थिक हानि की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी कम 8 को स्टाम्प ड्यूटी की हानि होना संभाव्य है। ऐसे में प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत वादग्रस्त भूमि पर निर्योग्यता रखते हुए प्रकट होते है। वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित होने की योग्यता रखता प्रकट होता है, परन्तु प्रतिवादी कम 8 को राजस्व हानि न हो यह तथ्य भी एक अहम बिन्दू है।

अतः प्रकरण में प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसरण में वाद वादी निर्बन्धन सहित अंशतः स्वीकार किया जाना उचित प्रकट होता है।

उपरोक्तानुसार वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है, वादी को विवादित आराजी वाके ग्राम रलायता तहसील दीगोद स्थित ख0न0 27/375 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 29 रकबा 1.07 हे0 एवं ख0नं0 192 रकबा 1.72 हे0 भूमि का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। यदि वादी वर्तमान् प्रचलित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित उक्त ग्राम की भूमि की वॉच्छित पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क जमा करवा देता है तो वादी को उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर बतौर खातेदार अंकित किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 8 को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 28.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर
दीगोद

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

लटूरलाल पुत्र धूलीलाल जाति चमार निवासी रलायता तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र औंकार
2. भंवरलाल पुत्र औंकार
3. कल्याण पुत्र औंकार जाति चमार निवासीगण गांवडी, बलवन्त खेडी तहसील मांगरोल जिला बांरा
4. लटूर मृतक जरिये कायम मुकाम–

   4/1. नट्टी बेवा लटूर निवासी गांवडी, बलवन्त खेडी तहसील मांगरोल जिला बांरा
5. गोपाल पुत्र औंकार
6. कालू पुत्र औंकार जाति चमार निवासीगण गांवडी, बलवन्त खेडी तहसील मांगरोल जिला बांरा
7. चतरी बाई बेवा औंकार जाति चमार लटूर निवासी गांवडी, बलवन्त खेडी तहसील मांगरोल जिला बांरा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मिसल नम्बर 410/09

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु मुझ तारामती वैष्णव आर0ए0एस0 बहाजिरी श्री राजकुमार नंदवाना एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु ,मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है, वादी को विवादित आराजी वाके ग्राम रलायता तहसील दीगोद स्थित ख0न0 27/375 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 29 रकबा 1.07 हे0 एवं ख0नं0 192 रकबा 1.72 हे0 भूमि का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। यदि वादी वर्तमान् प्रचलित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित उक्त ग्राम की भूमि की वॉच्छित पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क जमा करवा देता है तो वादी को उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर बतौर

Scanned by CamScanner

खातेदार अंकित किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 8 को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 28.03.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

वाद व्यय पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(तारामिती वैष्णव)
सहायक कलक्टर
दीगोद

Scanned by CamScanner